

PROPOSED LAY OUT PLAN GANESH VIHAR EXT NEAR JAICHANDRA , JAI AANAND PURA,VATIKA ,TONK ROAD JAIPUR

SHRI GANPATI GRAH NIRMAN SHAKARI SAMITI LTD. JAIPUR

योजना का स-उपयोग एवं तकनीकी विश्लेषण:-

आवासीय क्षेत्रफल	188942.00 वर्ग फीट	68.97 %
व्यवसायिक क्षेत्रफल	1358.00 वर्ग फीट	0.50 %
सड़क क्षेत्रफल	83650.00 वर्ग फीट	30.53 %
कुल योजना का क्षेत्रफल	273950.00 वर्ग फीट	100.00 %



1 : INCH=100 FEET



योजना की खसरा सीमा का मिलन किया गया।
अमोन (जोन-14)

- योजना में सम्मिलित सभी खसरे की 70-बीटो चुकी है। प्रकरण सं. 90/2007 दि. 06-08-07, 16/2008 दि. 06-02-08, 63/2008 दि. 13-05-08 के आदेशों की धारा 10 के अन्तर्गत प्रमाणित है।
- गणपति ग्रह नि.स.स. की आवासीय योजना गणेश विहार विस्तार ग्राम चन्द्रलाल जैन अन्त्येष्टीशाला के ब्लॉक A, B, C, E, F, G, H, I, J, का अनुमोदन ज.वि.आ. द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। शेष ब्लॉक D, K, L, O, P, R, S की भी सी.पी.सी. (एल.पी.) की 204 बीटो के दि. 20-09-2013 में खसरा अनुमोदन की गई है। सी.पी.सी. (एल.पी.) की 204 बीटो के दि. 20-09-2013 द्वारा विचारविमर्श परचाल योजना में 10 प्रतिशत से कम भूखण्डों पर निर्माण होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति लिये जाकर योजना मानाधिकार की निम्नानुसार स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
- राज्य सरकार के पत्र दि. 23-12-2013 (छप्पस-135/सी पर संलग्न) के अनुसार उक्त योजना के संदर्भ में विभागीय पत्र दि. 20-01-2012 द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि विभागीय पत्र दि. 06-08-2004 के अनुसार ज.वि.आ. संश्लेषण की योजनाओं में 10 प्रतिशत से कम भूखण्डों पर निर्माण होने की स्थिति में अधिकांश ज.वि.आ. की अनुमति के बावजूद निर्माण की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। इसके प्रकरण में अधिकांश ज.वि.आ. द्वारा स्वीकृति दि. 09-02-2008 (छप्पस सं. 01/सी पर संलग्न) के भी जा चुकी है। जिसका निबन्धन कांशीय डिप्लोमा के पैरा सं. 214/एन से 219/एन वट उपलब्ध है। अतः उक्त प्रकरण में पुनः राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
- योजना में प्रस्तावित सभी दुकानों को अस्वीकृत किया जाता है।
- सिन् भूखण्डों में निम्नानुसार सेट बैक लगाने के परचाल निर्माण क्षेत्र गठे मिलता, उक्त भूखण्डों का नियंत्रण नहीं किया जावे।
- कोर्ट के भूखण्डों में निम्नानुसार कर्ब किया जावेगा।
सी.पी.सी. (एल.पी.) की 209 बीटो के दि. 13-02-2014 में कर्ब गणेश विहार विस्तार में 10 प्रतिशत से कम भूखण्डों पर निर्माण होने की स्थिति में विचारविमर्श परचाल निर्माण किया गया कि योजना के संकल्प में राज्य सरकार के पत्र दि. 23-12-2013 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः योजना अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।

नहरोलदार
जोन-14
सहायक नगर नियोजक
जोन-14
उपायुक्त
जोन-14
नरिष्ठ नगर नियोजक की पी.पी.सी. (एल.पी.)
ज.वि.आ., जयपुर
अति. मुख्य नगर नियोजक की पी.पी.सी. (एल.पी.)
ज.वि.आ., जयपुर